

चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds)

प्रलिस के लयः

चुनावी बॉण्ड ।

मेन्स के लयः

चुनावी बॉण्ड, चुनावी फंडगि, राजनीतिका अपराधीकरण, नीतियों का नरिमाण तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे ।

चर्चा में क्यों?

[सर्वोच्च न्यायालय](#) इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 को चुनौती देने वाली एक लंबति याचिका पर सुनवाई करेगा ।

- दो गैर-सरकारी संगठनों- कॉमन कॉज़ और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रफॉर्मस (ADR) ने इस योजना को चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि यह 'लोकतंत्र को विकृत' (Distorting Democracy) कर रही है ।

चुनावी बॉण्ड:

- चुनावी बॉण्ड बना किसी अधिकतम सीमा के **1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों** में जारी किये जाते हैं ।
- **भारतीय स्टेट बैंक** इन बॉण्ड्स को जारी करने और **भुनाने (Encash)** के लिये अधिकृत बैंक है, ये बॉण्ड जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों तक वैध रहते हैं ।
- यह बॉण्ड एक **पंजीकृत राजनीतिक पार्टी** के नरिदष्टि खाते में प्रतदिय होता है ।
- बॉण्ड किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है) द्वारा **जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक दस दिनों** की अवधि हेतु खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा नरिदष्टि कयि गया है ।
- एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है ।
- **बॉण्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं** कयि जाता है ।
 - चुनावी बॉण्ड की खरीद के माध्यम से **राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से कम का योगदान** देने वाले दाताओं को अपना **पहचान वविरण जैसे- पैन (PAN)** आदा देने की आवश्यकता नहीं होती ।
- चुनावी बॉण्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत में चुनावी फंडगि में पारदर्शिता लाना था ।
 - सरकार ने इस योजना को "**कैशलेस-डजिटल अर्थव्यवस्था**" की ओर बढ़ रहे देश में '**चुनावी सुधार**' के रूप में वर्णित कयि ।

चुनावी बॉण्ड की आलोचना:

- **मूल वचिर के वपिरीत:**
 - चुनावी बॉण्ड योजना की मुख्य आलोचना यह की जाती है कि यह अपने मूल वचिर यानी चुनावी फंडगि में पारदर्शिता लाने के ठीक वपिरीत काम करता है ।
 - उदाहरण के लिये आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बॉण्ड की गुमनामी केवल व्यापक जनता और वपिक्षी दलों तक की सीमति होती है ।
- **जबरन वसूली की संभावना:**
 - चूंकि इस तरह के बॉण्ड सरकारी स्वामतिव वाले बैंकों (SBI) के माध्यम से बेचे जाते हैं, ऐसे में कई आलोचकों का मानना है कि सरकार इसके माध्यम से यह जान सकती है कि कौन लोग वपिक्षी दलों को वतितपोषण प्रदान कर रहे हैं ।
 - परिणामस्वरूप यह प्रकयि केवल तत्कालीन सरकार को ही धन उगाही की अनुमति देती है और सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करती है ।
- **लोकतंत्र के लिये चुनौती:** वतित अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के ज़रिये प्राप्त राशि का खुलासा करने से छूट दी है ।

- इसका मतलब है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक वित्तपोषण किया है।
- हालाँकि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक उन लोगों के लिये अपना वोट डालते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे।
- **‘जानने के अधिकार’ से समझौता:** भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि ‘जानने का अधिकार’ विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) का एक अभिन्न अंग है।
- **स्वतंत्र और नष्पक्ष चुनावों के खिलाफ:** चुनावी बॉण्ड नागरिकों को इस संदर्भ में कोई वविरण नहीं देते हैं।
 - उक्त गुमनामी उस समय की सरकार पर लागू नहीं होती है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से डेटा की मांग करके दाता के वविरण तक पहुँच सकती है।
 - इसका मतलब यह है कि सत्ता में बैठी सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र व नष्पक्ष चुनाव को बाधित कर सकती है।
- **क्रोनी कैपिटलज़िम:** चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक चंदे पर पहले से मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी रूप से अच्छे संसाधन वाले नगिमों को चुनावों के लिये धन देने की अनुमति देती है जिससे क्रोनी कैपिटलज़िम का मार्ग प्रशस्त होता है।
 - क्रोनी कैपिटलज़िम एक आर्थिक प्रणाली है जो व्यापारिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच घनषिट, पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों की वशिषता है।

आगे की राह

- भ्रष्टाचार के दुष्चक्र को तोड़ने और लोकतांत्रिक राजनीतिक गुणवत्ता की कमी के लिये साहसिक सुधारों के साथ-साथ राजनीतिक वित्तपोषण के प्रभावी वनियमन की आवश्यकता है।
- संपूर्ण शासनतंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने हेतु मौजूदा कानूनों में खामियों को दूर करना महत्त्वपूर्ण है।
- मतदाता जागरूकता अभियानों की मांग कर पर्याप्त बदलाव लाने में भी मदद कर सकते हैं। यदि मतदाता उन उम्मीदवारों और पार्टियों को अस्वीकार करते हैं जो उन पर अधिक खर्च करते हैं या उन्हें रशिवत देते हैं तो लोकतंत्र एक कदम और आगे बढ़ जाएगा।

स्रोत: द द्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/electoral-bonds-8>

